M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1386 दिनांक : 18.07.2024
22

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S A-ONE WELDING WORKS, BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI- 451666 **CON. PER.** - SARFUDDIN LADAWAT MOB-9090919158, 9098669158

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**

.....2

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

.....3

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

.....4

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक

1387
22-7-2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S A-ONE WELDING WORKS,** BALWADI,TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI- 451666

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1388 दिनांक : 18.07.2024
22

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
———————————

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SAGAR AGRO INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS - MHOW NEEMUCH ROAD, NEAR BUS STAND, VILL DHARAD, DIST. RATLAM (MP)
CONTACT PERSON - YOGESH PANCHAL : 9752674174

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

.....2

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

.....3

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

.....4

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

1389
22-7-2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S SAGAR AGRO INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** - MHOW NEEMUCH ROAD, NEAR BUS STAND, VILL DHARAD, DIST. RATLAM (MP)

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1204 दिनांक : 08.07.2024 09

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA OFFICE ADDRESS - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP)
CONTECT PERSON - RITESH VYAS : 7000351200, 9584301120

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

.....2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. BHOPAL

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corporation Ltd. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
9.7.2024

1205
09-7-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA OFFICE ADDRESS** - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
निखिल मोहगांवकर
प्रबंधक

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1195 दिनांक : 08.07.2024
09

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय–विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MANISH FABRICATION, NEW OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP) **CONTECT PERSON**- RAJKUMAR VISHWAKARMA : 9893343199, 7000296652

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

.....2

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.....3

इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

1196
09-7-24

प्रबंधक (विपणन)
प्रबंधक (...) 9.7.2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S MANISH FABRICATION,** NEW OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
9.7.2024
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (...)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024-25 / 1197

दिनांक : 08.07.2024
09

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)
CONTECT PERSON - MANISH RICHARIYA - 9893549074

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

.....2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.....3

इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. BHOPAL

.....4

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

1198
09-7-24

प्रबंधक (विपणन)
नितिन 9-7-2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA** KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
9-7-2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024-25 / 1193 दिनांक : 08.07.2024 09

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S GANGA INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP) **CONTECT PERSON** - MANOJ RAJANI : 9425048585

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

.....4

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
9.7.2024

प्रतिलिपि :– 1194 / 09-7-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S GANGA INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP)

प्रबंधक (विपणन)
9.7.2024

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1199

दिनांक : 08.07.2024
09

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

MAHALAXMI INDUSTRIES, OFFICE ADD - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT - SAGAR 470118 **CONTECT POESON**-NARAYAN SINGH MO - 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 10**	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 12**	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. * BHOPAL *

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

1200
09-7-2024

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक 9-7-2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **MAHALAXMI INDUSTRIES, OFFICE ADD** - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT -SAGAR 470118

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
प्रबंधक 9/7/2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1202 दिनांक : 08.07.2024 09

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES, - KANJIYA LAHATWAS ROAD, VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118-GULAB SINGH MO - 8120241122

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

.....2

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES **MODEL - 10**	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES **MODEL - 12**	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक ( )

1203
09-7-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES, - KANJIYA LAHATWAS ROAD, VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक ( )

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1106 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S TRUE VISION INC, 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

.....2

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

.....3

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corporation * BHOPAL *

अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

प्रतिलिपि :- 1107 / 03-7-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S TRUE VISION INC,** 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1106 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S TRUE VISION INC, 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTECT PERSON** - HARI MOHAN BOHRE : 7999019721

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

.....2

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

.....3

State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corporation * BHOPAL *

अधिरोपित शास्ति : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

प्रतिलिपि :- 1107 / 03-7-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S TRUE VISION INC,** 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1104

दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

NATIONAL ENGINEERING WORKS, OPP. SIRPUR TALAB, INDORE (MP)
CONTACT PERSON-SMT. SHABNAM KHAN. PARTNER - 7000233648

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. BHOPAL

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1105
03-7-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S NATIONAL ENGINEERING WORKS,** OPP. SIRPUR TALAB, INDORE (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1104

दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

NATIONAL ENGINEERING WORKS, OPP. SIRPUR TALAB, INDORE (MP)
CONTACT PERSON-SMT. SHABNAM KHAN. PARTNER - 7000233648

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. BHOPAL

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1105
03-7-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S NATIONAL ENGINEERING WORKS,** OPP. SIRPUR TALAB, INDORE (MP)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1102 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S G.V. INDUSTRIES, 29 A, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA DHAR (M.P.)
CONTECT PERSON - AZIZ KHAN, PARTNER - 9826469388

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

.....3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान –</u> प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड :</u> सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

प्रतिलिपि :– 1103 / 03-7-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S G.V. INDUSTRIES,** 29 A, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA DHAR (M.P.)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1102 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S G.V. INDUSTRIES, 29 A, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA DHAR (M.P.)
CONTECT PERSON - AZIZ KHAN, PARTNER - 9826469388

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

.....3

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान –</u> प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर <u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u> की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड :</u> सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

प्रतिलिपि :– 1103 / 03-7-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S G.V. INDUSTRIES,** 29 A, SEMI URBAN INDUSTRIAL AREA DHAR (M.P.)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टैंकर / 2024-25 / 1108 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI ENTERPRISES, OFFICE ADD- 6/5 CHOTI GWAL TOLI INDORE
CONTECT PERSON- ANSHUL MITTAL MOB- 9827728815, 7999553033

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

.....3

किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1109
03-7-24

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S BALAJI ENTERPRISES, OFFICE ADD-** 6/5 CHOTI GWAL TOLI INDORE

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टैंकर / 2024-25 / 1108 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI ENTERPRISES, OFFICE ADD- 6/5 CHOTI GWAL TOLI INDORE
CONTECT PERSON- ANSHUL MITTAL MOB- 9827728815, 7999553033

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. Ltd. BHOPAL

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

   (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

.....3

किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1109
03-7-24

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S BALAJI ENTERPRISES, OFFICE ADD-** 6/5 CHOTI GWAL TOLI INDORE

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1094 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S HINDUSTAN FABRICATORS, B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016
CONTECT PERSON : ABHISHEKH GOUD - 9039099059

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1095
03-7-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S HINDUSTAN FABRICATORS,** B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1094 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S HINDUSTAN FABRICATORS, B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016
CONTECT PERSON : ABHISHEKH GOUD - 9039099059

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES.	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES.	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES.	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES	160390	28870	**189260**	160390	8020	30314	**198723**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. सामग्री की गुणवत्ता –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान –** प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर :** जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1095
03-7-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S HINDUSTAN FABRICATORS,** B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1098 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH, 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE (MP) - 452002 **CONTECT PERSON** - PRAFULL PANCHAL : 9301535000

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

.....2

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदायं की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

.....3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1099
03-7-24

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH,** 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1098 दिनांक : 03.07.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH, 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE (MP) - 452002 **CONTECT PERSON** - PRAFULL PANCHAL : 9301535000

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES.	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES.	134000	24120	**158120**	134000	6700	25326	**166026**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक / निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक / निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

.....2

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. <u>सामग्री की प्रदायगी</u> – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदायं की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *

.....3

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corp. BHOPAL

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.08.2023 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

1099
03-7-24

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH,** 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE

प्रबंधक (विपणन)
3.7.2024

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1384 दिनांक : 18.07.2024
22

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SHRI RAMJI AGRO INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS : UMARI ROAD NANAKHEDI, GUNA (MP) **CONTECT PERSON** - RAJESH SINGH DHAKAD : 8305062910

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 3**	108500	19530	**128030**	108500	5425	20507	**134432**
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 4**	112500	20250	**132750**	112500	5625	21263	**139388**
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 5**	140000	25200	**165200**	140000	7000	26460	**173460**
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. **MODEL - 6**	146274	26329	**172603**	146274	7314	27646	**181233**
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 9**	129751	23355	**153106**	129751	6488	24523	**160761**

.....2

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES **MODEL - 11**	153790	27682	**181472**	153790	7690	29066	**190546**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

   (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

   (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

   (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

   (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

   (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

   (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

.....3

4. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>भुगतान</u> – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. <u>तकनीकी मापदण्ड</u> : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. <u>अधिरोपित शास्ति</u> : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी :** आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

1385
22-7-2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S SHRI RAMJI AGRO INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** : UMARI ROAD NANAKHEDI, GUNA (MP)

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / वाटर टेंकर / 2024–25 / 1388 दिनांक : 18.07.2024
22

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
———————————

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा TWO WHEEL WATER TANKER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S SAGAR AGRO INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS - MHOW NEEMUCH ROAD, NEAR BUS STAND, VILL DHARAD, DIST. RATLAM (MP)
CONTACT PERSON - YOGESH PANCHAL : 9752674174

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN	GST	FINAL SELLING PRICE
M.S. WATER TANKER								
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 1**	106000	19080	**125080**	106000	5300	20034	**131334**
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 2**	108985	19617	**128602**	108985	5449	20598	**135032**
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. **MODEL - 7**	122751	22095	**144846**	122751	6138	23200	**152088**
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. **MODEL - 8**	127551	22959	**150510**	127551	6378	24107	**158036**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 03.07.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 02.10.2024) तक लागू रहेंगी।

.....2

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे ।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

.....3

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं)

7. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टेंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टेंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।

8. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

9. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 2 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

8. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टेंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टेंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

.....4

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 12.06.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु जारी उपरोक्त प्रदायक की पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

1389
22-7-2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
4. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. **M/S SAGAR AGRO INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** - MHOW NEEMUCH ROAD, NEAR BUS STAND, VILL DHARAD, DIST. RATLAM (MP)

प्रबंधक (विपणन)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)